BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Vol. XXXXIV | 26th June 2013 | No. 7

बिहार में निवेशकों पर रियायतों की बौछार

चालू वित्त वर्ष के दौरान बिहार में निवेश करने वाले उद्यमियों को मिलेगी 300 करोड़ रुपये की रियायत व छूट

बिहार सरकार ने चालू वित्त वर्ष में निवेशकों को 300 करोड़ रुपये की रियायतें और कर छूट देने का फैसला लिया है। इसमें से सबसे ज्यादा रकम राज्य सरकार पूंजीगत अनुदान (कैपिटल सब्सिडी) के रूप में निवेशकों को देगी।

राज्य मंत्रिमंडल ने 28.5.2013 इस बारे में एक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया, 'राज्य सरकार ने चालू वित्त में अपनी नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 और 2011 के तहत रियायतों और छूट के मद में 300 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। इसके तहत राज्य सरकार उद्यमियों को वैट की प्रतिपूर्ति, पूंजीगत अनुदान, बिजली शुल्क में रियायत और जेनरेटरों पर अनुदान दिया जाएगा।'

नीतीश सरकार के अहम फैसले

- पूंजीगत अनुदान के रूप में निवेशकों को मिलेंगे करीब 200 करोड़ रुपये।
- खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बिहार सरकार निवेशकों को देती है 35 फीसदी अनुदान।
- इसके अलावा बिजली रियायत और स्टांप शुल्क में रियायत और वैट प्रतिपूर्ति पर भी सरकार करेगी मोटी रकम खर्च।

उद्योग विभाग के सूत्रों के मुताबिक इसमें से करीब 200 करोड़ रुपये की राशि पूंजीगत अनुदान पर खर्च की जाएगी। इसके अलावा, बिजली शुल्क पर रियायत और वैट की प्रतिपूर्ति पर भी राज्य सरकार मोटी रकम खर्च करने की तैयारी कर रही है।

राज्य सरकार ने बीते साल भी उद्यमियों को इतनी ही छूट दी थी। गौरतलब है कि अपनी इस नीति के तहत राज्य सरकार निवेशकों को लुभाने के लिय मोटा अनुदान देती है। इसके तहत राज्य सरकार औद्योगिक इकाइयों को स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क में पूरी छूट देती है। बिहार सरकार खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 35 फीसदी का अनुदान देती है। इसके अलावा जेनरेटरों पर 50 फीसदी अनुदान का प्रावधान है। राज्य सरकार वैट की 80 फीसदी की प्रतिपूर्ति भी उद्यमियों को करती है। हालांकि राज्य में मिल रही इस तरह की छूटों के बावदूद उद्यमी ज्यादा खुश नहीं हैं। राज्य के एक कारोबारी ने कहा, 'सरकार ने रियायतों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इनके भुगतान में काफी देर होती है। मिसाल के तौर पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को ही ले लीजिए। इस क्षेत्र की कई इकाइयों को अनुदान मिलने में काफी देर हो रही है। साथ ही इसके लिए उद्यमियों को काफी चक्कर भी लगाने पड़ते हैं।' अधिकारियों का कहना है, 'हम इस बात से वाकिफ हैं। इसमें अब तेजी लाई जा रही है। हमारी कोशिश है कि उद्यमियों को सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 29.5.2013)

Govt to push big-ticket rly projects in Bihar

The 14,000 cr. plan for setting up diesel And electric locomotive plants under the PPP mode at Madhepura and Marhoura is finally taking shape. ***(Details : Hindustan Time 12-6-2013)***

केंद्रीय मंत्रीमंडल में 8 नये चेहरे

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी टीम में आठ नए चेहरों को शामिल किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को श्रम से हटाकर रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रपति ने 17.6.2013 को चार कैबिनेट और चार राज्यमंत्रियों को शपथ दिलाई है।

नये कैबिनेट मंत्री

- **शीशराम ओला** : श्रम
- **ऑस्कर फर्नांडीस** : भूतल परिवाहन व राजमार्ग मंत्रालय
- **गिरिजा व्यास** : आवास, शहरी विकास
- **के. एस. राव** : कपड़ा मंत्रालय

नए राज्यमंत्री

- **मानिक राव गावित** : सामाजिक कल्याण
- **संतोष चौधरी** : **स्वास्थ्य**
- **सुदर्शन नचियप्पन** : वाणिज्य व उद्योग
- **जेडी सीलम** : वित्त।

(साभार : हिन्दुस्तान, 18.6.2013)

पिछड़ेपन के मानक तय करने पर मंथन शुरू

बिहार को विशेष दर्जा की मांग के संदर्भ में केन्द्र सरकार ने पिछड़ापन का मानक तय करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा गठित राजन समिति ने 28.5.2013 को पहली बैठक की। यह समिति पिछड़ेपन के नए मानक तय करेगी। नए मानकों के आधार पर ही तय होगा कि किस राज्य को विशेष दर्जा दिया जाए और किसे नहीं ।

वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाइकार रधुराम जी राजन को अध्यक्षता में नार्थ ब्लॉक में दो घंटे से अधिक चली बैठक में मंत्रलय के शीर्ष अधिकारियों ने केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की मौजूदा प्रणाली पर प्रजेटेशन दिया। बैठक में विकास से अब तक वंचित रहे क्षेत्रों की समस्याओं पर चर्चा हुई ।

दर्जा मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा: नीतीश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। श्री कुमार ने कैबिनेट की बैठक के बाद सचिवालय में संवाददाताओं से बात करे रहे थे। मुख्य आर्थिक सलाहकार रघुराम जी राजन की अध्यक्षता में गठित उप समिति की बैठक के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जो चाहते है, मिल जाता है तो अच्छा है। अगर नहीं मिलता है तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा।

(विस्तृत समाचार : हिन्दुस्तान, 29.5.2013)

गुजरात से अधिक तेज विकास कर रहा बिहार

एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, लोक निवेश के कारण बीमारू राज्य समझा जाने वाले बिहार में यह बदलाव आया है, जबकि निजी निवेश ने गुजरात को देश का सबसे अधिक उद्योग प्रधान राज्य बना दिया है।

रिपोर्ट बताती है कि 2003 से 2013 के दौरान दस सालों में बिहार में लोक निवेश का कम्पाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट (सीएजीआर) 20 प्रतिशत रहा है, जबकि इस

अवधि में गुजरात का मात्र 14.1 फीसद रहा है। वहीं निजी निवेश में बिहार 104.5 प्रतिशत के सीएजीआर के साथ गुजरात के 31. 9 फीसद के मुकाबले काफी आगे है। केवल मार्च, 2013 की बात की जाए तो इस एक माह में भी बिहार में लोक निवेश की रफ्तार गुजरात से अधिक रही है।

एसोचैम की रिपोर्ट ने हालांहि यह स्पष्ट कर दिया है कि रफ्तार भले ही तेज रही हो, परन्तु निवेश की कुल राशि गुजरात में बिहार से चार गुना अधिक रही है। यह गुजरात के पहले से ही एक विकसित राज्य रहने का नतीजा है। गुजरात में दस सालों में अगर 13,74,244 करोड का निवेश हुआ है तो प्रदेश में यह आंकड़ा 3,11,527 करोड़ का रहा है। निवेश के आकड़ों के विश्लेषण के साथ रिर्पाट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि गुजरात बिजली के मामले में आत्मनिर्भर है, लेकिन बिहार में हुए निवेश का 70 प्रतिशत के अधिक विद्युत प्रक्षेत्र में खर्च के लिए आया है।

उद्योग के मोर्चे पर भी बिहार ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की तरह बेहतर किया है। वैसे इस मोर्चे पर गुजरात को पंजाब से कड़ी चुनौती मिली है, जिसने औद्योगिक क्षेत्र में 6.27 प्रतिशत का विकास दर दर्ज किया है। सेवा क्षेत्र में भी बिहार ने झारखंड, केरल हरियाणा, जम्मू कश्मीर असम, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु की तरह तेजी दिखाई है। **(साभार : दैनिक जागरण, 4.6.2013)**

बिहार का कर प्रशासन अन्य राज्यों के लिए मॉडल

इंटरनेशनल फाइमेंस कॉरपोरेशन (आइएफसी) के वरीय कर विशेषज्ञ राजूल अवस्थी ने कहा है कि हाल के वर्षों में बिहार में निवेश का वातावरण बेहतर हुआ है। इसका मुख्य कारण है कर प्रशासन में गुणात्मक सुधार होना हैं। यह अन्य राज्यों लिए मॉडल है. मंगलवार को वह बिहार चैंम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया, टैक्स बार एसोसिएशन और कामर्शियल टैक्स बार एसोसिएशन के साथ टैक्स प्रशासन में सुधार विषयक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर बिहार में वैट सुधार पर एक रिपोर्ट भी जारी किया गया। **(साभार : प्रभात खबर, 5.6.2013)**

उद्योग लगाने में जमुई जिला अव्वल

नक्सलवाद प्रभावित जमुई जिले के जिला उद्योग केन्द्र ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत शत- प्रतिशत राशि खर्च की है। इस राशि से कालीन, मिनरल वाटर, राइस मिल, आइस ब्लॉक, पत्तल निर्माण समेत कई प्रकार के उद्योग स्थापित किये गये हैं। उद्योग की स्थापना होने से नक्सली भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं।

स्थापित किये गये कालीन, राइस मिल, निनरल वाटर, आइस ब्लॉक, पत्तल निर्माण और फर्नीचर उद्योग

(विस्तृत समचार : राष्ट्रीय सहारा, 10.6.2013)

कांटी बिजलीघर से एक माह में उत्पादन

कांटी बिजली घर के एक यूनिट से एक माह में उत्पादन प्रांरभ हो जायेगा। इस प्लांट में 110 मेगावाट के दो यूनिट लगाये गये हैं। पांच-छह महीने बाद दूसरे यूनिट से भी उत्पादन होने लगेगा। बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी के एमडी आनंद किशोर ने बताया कि एनटीपीसी के साथ कई दौर की बैठकें हुई हैं। पांच-छह महीने बाद दूसरा यूनिट भी चालू हो जायेगा। उन्होंने कहा कि बरौनी के 110 मेगावाट के यूनिट के लिए भेल के सीएमडी के साथ बैठक हुई है। मार्च, 2014 तक उसको भी चालू करने का लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा। इसके लिए निधि की कमी नहीं होने दी जायेगी।

(साभार : पभात खबर, 11.6.2013)

जल्द ही कटेगा पूरी सैलरी पर पीएफ

पी.एफ. महज बेसिक सैलरी का 12 फीसदी नहीं कटेगा, बल्कि अब यह पूरी सैलरी के आधार पर काटा जाएगा। इससे संस्था या कंपनी का पीएफ में अंशदान भी बढ़ जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) जल्दी ही नया नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। श्रम मंत्रालय की ओर से इस प्रस्ताव का अध्ययन करने वाली समिति ने इसका अनुमोदन कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि श्रम मंत्रालय ईपीएफओ की नई पहल को आगे बढ़ाने के लिए राजी है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 29.5.2013)

बाहर से आनेवाले वाहनों पर टैक्स बढ़ा

करीब दस साल बाद बाहर से आनेवालो चाहनों पर टैक्स में 20 से 55 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। इस फैसले से सरकार को सालाना चार करोड़ की अतिरिक्त आय होगी। वहीं दूसरी और मालभाड़ा बढ़ने से राज्य में कपडा, स्टेशनरी, दवा स्टील, प्लास्टिक की वस्तुएं, मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स जैसे सामान की कीमतें बाढ़ जायेंगी। ट्रक व बस ऑनर संघ ने मालभाडा बढ़ाने का संकेत दिया है।

बढ़ेगी महंगाई : बिहार में ज्यादातर उपभोक्ला वस्तुएं बाहर से आती है। कपड़ा, स्टील व प्लास्टिक होगा महंगा।

20 से 55 प्रतिशत तक की होगी बढ़ोतरी

वाहन	7 दिनों तक	7-14 दिन	14-30 दिन
32 सीट	रु 3600	रु 6600	रु 12000
16-32 सीट	रु 2900	रु 5300	रु 9600
6-15 सीट	रु 2200	रु 4000	रु 7200
चार चक्का	रु 300	रु 500	रु 800
तीन चक्का	रु 100	रु 200	रु 300
मालवाहक	**7 दिनों तक**	**7-14 दिन**	**14-30 दिन**
10टन तक	रु 750	रु 1100	रु 1700
10-20 टन	रु 1000	रु 1500	रु 2200
20-30 टन	रु 1700	रु 1600	रु 4000
30-40 टन	रु 2700	रु 4000	रु 6000
40-50 टन	रु 4200	रु 6300	रु 9600

(साभार : प्रभात खबर, 5.6.2013)

बिहटा में बनेगा नया पावरग्रिड

तेजी से विकसित हो रहे बिहटा सहित उसके आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में भविष्य की बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए जल्द ही 400 मेगावट क्षमता का नया ग्रिड बनेगा। इसमें 150 व 50 एमवीए के दो-दो पावर ट्रांसफॉर्मर लगेंगे। इस पर कुल 99.65 करोड़ की लागत आयेगी। राज्य सरकार ने इसमें से 20 करोड़ रुपये ऋण के तौर पर मंजूर किया हैं। **(विस्तृत साभार : प्रभात खबर, 11.6.2013)**

उद्योग नहीं लगाने वाले होंगे सूची से बाहर

राज्य सरकार ने वैसी कंपनियों को सूची से बाहर (डी-लिस्ट) करने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिन्होंने मंजूरी दिए जाने के बाद भी निवेश के अपने प्रस्ताव को अबतक अमली जामा नहीं पहनाया है। उधोग विभाग द्वारा फिलहाल 27 ऐसी कंपनियों को नोटिस देकर ताजा स्थिति से अवगत कराने कहा गया है। 15 दिनों के अंदर उनके संतोषजनक जवाब नहीं मिले तो उनके प्रस्तावों को राज्य निवेश प्रोत्याहन पर्षद (एसआइपीबी) से मिली मंजूरी रद कर दी जाएगी और उन्हें निवेशकों की सूची से डी-लिस्ट कर दिया जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि उद्योग विभाग इस बात को लेकर काफी चिंतित है कि निवेश के प्रस्ताव तो बड़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन ये सरजमीन पर नहीं उतर रहे। एसआईपीबी ने पिछले सात सालों में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी दी है, लेकिन निवेश 10 हजार करोड़ का भी नहीं हो पाया है। ऐसे में इन निवेशकों से एक बार संपर्क करने के साथ-साथ उन्हें वार्निंग देना भी आवश्यक है। जिन 27 कंपनियों को नोटिस जारी की गई है, उनके प्रस्तावों को एसआइपीबी की मंजूरी मिले पांच साल से अधिक का अरसा गुजर चुका है। अधिकांश के प्रस्ताव 2007 में स्वीकृत किए गए हैं।

नोटिस झारखंड की जस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को भी दी गई है, जिसने 11 हजार 120 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव देते हुए सूबे मे दो थर्मल पावर प्लोट लगाने को बात कही थी। एक थर्मल पांवर प्लांट तो कंपनी ने बांका में स्थापित करना आरंभ कर दिया है, परन्तु दूसरे प्रस्ताव पर कंपनी की ओर से कोई पहल नहीं हुई है। इथनाल उत्पादन का प्रस्ताव देने वाली चार कंपनियों को भी अपडेट देने को कहा गया है, हालांकि इथनाल इकाइयों की स्थापना पर केन्द्र सरकार की ओर से ही प्रतिबंध है। दो

मेडिकल, एक डेंटल और दो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के प्रस्ताव देने वाले निवेशकों को भी 15 दिनों में ताजा स्थिति बताने को कहा गया है।

प्रमुख कंपनियां, जिन्हें दी गई नोटिस :

• **जस इंफ्रास्ट्रक्चर :** 2640 मेगावाट के दो पावर प्लांट, निवेश 11, 120 करोड़ • **सीमेंट मनुफैक्चरिग लिमिटेड :** 250 मेगावाट की दो यूनिट, निवेश 1650 करोड़ • **विकास मेटल एंड पावर लिमिटेड :** 250 मेगावाट की दो इकाइयां, निवेश 1350 करोड़ • **विकमशिला टेक्सटाइल पार्क लिमिटेड :** टेक्सटाइल पार्क, निवेश 120 करोड़ • **विनसम इंटस्नेशनल लिमिटेड :** जूट मिल, 61 करोड़ • रेगो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड : जूट मिल, निवेश 29.65 करोड़।

(साभार: दैनिक जागरण, 10.6.2013)

एनपीजीसी बिजली परियोजना के तीसरे ब्वायलर ड्रम की लिफ्टिंग

एनपीजीसी बिजली घर निर्माण कंपनी में तीसरे ब्वायलर ड्रम की लिफ्टिंग की गयी। इसका उद्घाटन जीलीयोन कंपनी के जीएम ओ. एच. वर्मा ने कर लिया। श्री वर्मा ने बताया कि ब्यॉलर लिफ्टिंग कार्य भेल कंपनी को मिला था, जिसने जीलीयोन कंपनी को सौंप दिया। एक ब्यॉलर का वजन लगभग 133 टन है। सीओ केके सिंह ने बताया कि 2014 तक एक यूनिट बिजली का उत्पादन शुरू हो जायेगा। चौथे ब्वायलर ड्रम की लिफ्टिंग जुलाई में की जायेगी। चारों यूनिटों में ब्यॉलर ड्रम की लिफ्टिंग होने से 25 प्रतिशत कार्य पूरा हो जायेगा। एक हजार मेगावाट बिजली की सप्लाइ के लिए चार जोनों में चार यूनिट लगाये गये हैं।

(साभार : प्रभात खबर, 11.6.2013)

चार माह में 180 नए उद्योगों को स्वीकृति

राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एसआईपीबी) ने जनवरी से मई तक करीब 180 छोटे-बड़े निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही निवेशकों ने उद्योग लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक केवल मई माह में ही फूड प्रोसोसिंग क्षेत्र के 172 निवेश प्रस्तावों पर सहमति दी गई है। इन प्रस्तावों में सर्वाधिक 61 उद्यमी सूबे में राइस मिल लगाना चाहते हैं। वैसे वर्ष 2006 से अबतक कुल 1165 निवेश प्रस्तावों को स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से स्वीकृति मिल चुकी है। बोर्ड के मुताबिक इस साल के पहले माह में 13 प्रस्तावों को, 8 फरवरी को हुई बैठक में 62 प्रस्तावों को, 13 मार्च को हुई बैठक में 48 निवेश प्रस्तावों को जबकि 18 अप्रैल को हुई बैठक में 57 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। 30 अप्रैल को हुई बैठक में बियाडा की प्रोजेक्ट क्लीयरेंस कमेटी ने 106 निवेशकों द्वारा जमीन देने की अर्जी पर सुनवाई की। 54 निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन आवंटित कर दी गई थी। मई में स्वीकृत 172 फुड प्रोसोसिंग प्रस्तावों को मिलाकर राज्य में करीब 2258 करोड़ 18 लाख का निवेश होगा। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र के इन उद्योगों से राज्य के 14181 लोगों को रोजगार मिलेंगे। एसआईपीबी में फिलहाल बड़ी संख्या में निवेश के प्रस्ताव विचारार्थ हैं। सूत्रों के मुताबिक शीघ्र ही बोई की बैठक आयोजित की जाएगी।

(साभार : हिन्दुस्तान -12.6.2013)

कमर्शियल टैक्स रिटर्न भरना बिहार में आसान

विश्व भर में सबसे आसान है बिहार में कमर्शियल टैक्स का रिटर्न भरना। यहां व्यावसायियों को सिर्फ तीन लाइन की रिपोर्ट सरकार को देनी होती है। छोटे व्यापारियों के लिए भी देश की सबसे आसान योजना यहां लागू की गई है। 40 हजार तक के टर्न ओवर वाले व्यापारियों को बतौर टैक्स सिर्फ दस हजार रुपए देने पड़ते हैं।

इंटरनेशनल फाइनांस कारपोरेशन (आईएफसी) ने बिहार के टैक्स रिफार्म पर किए गए सर्वे की रिपोर्ट जारी की तो ये बातें सामने आई। सर्वे के अनुसार पिछले चार वर्षों में राज्य में टैक्स और व्यापार दोनों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। 90 प्रतिशत व्यापारी ऑनलाइन टैक्स भरते हैं। विश्व बैंक समूह की संस्था आईएफसी के वरीय टैक्स विशेषज्ञ राजुल अवस्थी ने रिपोटे जारी करते हुए कहा कि सर्वे के लिए तीन वर्षों में राजधानी पटना के अलावा राज्य के विभिन्न शहरों में कई सेमिनारों के माध्यम से व्यापारियों की राय जानने का प्रयास किया गया। व्यापारी मानने लगे हैं कि ज्यादा लाभदायक है कर अदा कर व्यवसाय करना। सारी व्यवस्था ऑनलाइन हो जाने से किसी को अधिक टैक्स लगने का भय नहीं रहा। उन्होंने सरकार को धन्यवाद दिया कि व्यापारियों की राह आसान करने के लिए आईएफसी की लगभग सारी अनुशंसाएं मान ली गई हैं। जल्द ही व्यापारी को किसी सरकारी कार्यलय में जाने की जरूरत नहीं होगी। विश्व के किसी देश में इतनी आसान व्यवस्था नहीं है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 6.6.2013)

JUNE-END TRIAL RUN TO CHECK POWER CRISIS

The state will get an additional 330MW in its kitty of central sector allocation from the Barh thermal power plant where the trial run will start by the end of this month.

The state's energy dreams are expected to get a boost once commercial operations start at the plant's first 660MW unit of stage II between October and November. An NTPC official The Telegraph spoke to said the trial run of the pant is expected to take three -four months after it starts by the end of June .

ENERGY HELP
Stage I
Three units of 660MW
• Completion : 2016-end
• State Kitty : 523 MW
Stage II
Two units of 660MW
Completion : September 2014
State kitty : 660MW
Present central sector allocation : *1985 MW*

A trial run or synchronisation process is a crucial step before a plant is declared. ready for commercial operations.

(Details : The Telegraph, 15.6.2013)

दवा दुकानदार को बिल काटना अनिवार्य

औषधि निरीक्षक, कई टीमों में बंट कर चुपचाप जाकर दुकानों का निरीक्षण करेंगे। जो दुकानदार बिल नहीं काटेगा, उन्हें दो बार चेतावनी दी जाएगी। तीसरी बार पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। उक्त जानकारी देते हुए औषधि नियंत्रक हेमंत कुमार सिन्हा ने बताया कि बार-बार दोषी पाए जाने वालों का लाइसेंस तक रद किया जा सकता है। नकली दवाओं से प्रदेश को मुक्त कराने के दैनिक जागरण के अभियान का असर स्वास्थ्य विभाग पर दिखने लगा है। छह माह में दवा जांच के लिए प्रयोगशाला शुरू कर दी जाएगी। वहीं, उपभोक्ताओं को बिल मांगने पर आसानी से मिले, इसलिए दुकानदारों पर शिकंजा कसा गया है।

ड्रग इंस्पेक्टर ज्यादा दुकानों का करें निरीक्षण : औषधि नियंत्रक ने सभी इंस्पेक्टरों को सख्त आदेश दिया है कि माह में 20 दुकानों की जांच का लक्ष्य अब भूल जाएं। ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में रहकर दुकानों का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि यदि ड्रग इंस्पेक्टर लगातार क्षेत्र में दिखेंगे तो आधी कमियां तो अपने आप ठीक हो जाएंगी। जागरूक जनता सबसे बड़ी शक्ति : उन्होंने कहा कि यदि जनता दवा का बिल ले, शक होने पर शिकायत करे तो प्रदेश से नकली व घटिया दवाओं के मकड़जाल को जल्दी और आसानी से समाप्त किया जा सकता है।

(साभार : दैनिक जागरण, 7.6.2013)

बाहरी ट्रकों को 72 घंटे के अंदर छोड़ना होगा बिहार

वाणिज्य कर विभाग ने सभी व्यापारियों एवं ट्रांसपोर्टरों को निर्देश दिया है कि आउट टू आउट (बिहार से बाहर जाने वाला सामान) जाने वाले ट्रकों को 72 घंटे के अंदर बिहार से बाहर निकल जाना है। अगर कोई ट्रक ऑपरेटर बिहार में घुसने से निकलने तक अगर 72 घंटे से अधिक समय लेता है तो उस पर विभागीय कार्रवाई होगी।

आउट टू आउट वाले ट्रकों को भी ट्रक में लदे सभी माल की विस्तृत जानकारी वाणिज्य कर विभाग को देना है। इनमें सामान कहां से खरीदा गया है, किसने खरीदा है, दोनों का टीन नम्बर, सामान का वैल्यू, ट्रक ड्राइवर का नाम, गाड़ी नम्बर सहित अन्य सारी जानकारी देनी होगी। परमिट में ट्रक ऑपरटरों को रूट की भी जानकारी देनी होगी। हालांकि अगर कोई ट्रक ऑपरेटर अपने रूट को बदलाना चाहता है तो वह बदल सकता है। इसके लिए कोई पेनॉल्टी नहीं होगी। लेकिन बेहतर होगा कि इसकी सूचना इंट्री चेक पोस्ट पर दे दी जाए।

इसके अलावा विभाग ने ट्रक ऑपरटरों को यह भी निर्देश दिया है कि परमिट

निर्गत होने के 288 घंटे के अंदर उनका सामान गंतव्य स्थान पहुंच जाए। समय सीमा के अन्दर यदि ट्रक जगह पर नहीं पहुंचता है तो पकड़े जाने पर उनपर पेनॉल्टी की कार्रवाई होगी । यदि किसी कारण से ट्रक समय सीमा के अन्दर जगह पर नहीं पहुंच पाता है तो वह समय सीमा खत्म होने के पहले अपने ऑन लाइन परमिट को रिन्यूअल कर ले और उसकी सूचना ट्रक ड्राइवर के मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से भेज दें। चेकपोस्ट पर एसएमएस दिखाने के बाद गाड़ी को पास मिल जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि अगर कोई ट्रंक इंट्री चेकपोस्ट पर राज्य के बाहर जाने का परमिट दिखाता है, परंतु आउटर चेकपोस्ट पर उस ट्रक की कोई इंट्री नहीं मिलती है तो उस ट्रक को दोबारा बिहार में इंट्री नहीं मिलेगी। **(साभार : हिन्दस्तान, 11.6.2013)**

रजिस्ट्रेशन नंबर लिखवाएं वरना फंस जाएंगे

वाणिज्य कर विभाग अब उन सभी दुकानों का निरीक्षण करने का प्लान कर रहा है जिन्होंने अपने साइन बोर्ड पर निबंधन संख्या अंकित नहीं कराया है। बताया जाता है कि ऐसी दुकानों का निरीक्षण करने के बाद अगर टैक्स की चोरी पकड़ी जाती है तो विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ पेनॉल्टी की कार्रवाई होगी। वाणिज्य कर विभाग छोटे दुकानदारों को कर के दायरे में लाने के लिए जल्द ही निरीक्षण अभियान शुरू करने जा रहा है। निरीक्षण के दौरान विभाग के अधिकारी सबसे पहले उसी दुकान का निरीक्षण करेंगे जिन्होंने दुकान के साइन बोई पर विभाग का रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित नहीं कराया है। निरीक्षण के दौरान विभाग के अधिकारी अनिबंधित डीलरों पर पेनॉल्टी के साथ कार्रवाई तो करेगा ही इस बारे में पटना प्रमंडल के संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) ने अंचल प्रभारियों को निर्देश दिया है कि छोटे व्यापारियों को कर के दायरे में लाने के लिए विशेष अभियान शुरू करें। **(साभार : हिन्दुस्तान, 18.6.2013)**

बिना परमिट रेलवे परिसर से बाहर नहीं निकलेगा सामान

वाणिज्य कर विभाग ने टैक्स की चोरी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए रेलवे परिसर के बाहर 24 घंटे अधिकारियों की तैनाती कर दी है। इसके लिए विभाग ने कुल आठ टीम गठित किया है। प्रत्येक टीम में 3 से 4 अधिकारियों को रखा गया है। इस संबंध में वाणिज्य कर विभाग ने 28 अधिकारियों की सूची जारी कर दी है। ऐसी रिथति में अब कोई भी सामान रेलवे गोदाम से बिना परमिट के सामान बाहर नहीं निकल पाएगा।

वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों का कहना है रेलवे के माध्यम से प्रतिदिन बिना परमिट के लाखों रुपये के सामान राज्य के बाहर से आता है। उन्हीं सामान को पकड़ने के लिए विभाग ने पटना जंक्शन एवं राजेन्द नगर टर्मिनल पर अधिकारियों की तैनाती की गई है। इनमें पटना जंक्शन पर एवं राजेन्द नगर टर्मिनल पर चार टीमों को रखा गया है। इनमें पटना जंनशन के टीमों में 4-4 अधिकारी शामिल है जबकि राजेन्द नगर टर्मिनल के टीमों में 3-3 अधिकारी शामिल हैं। दोनों स्टेशनों पर ये टीमें अगले 30 जून तक कार्यरत रहेंगी। इस टीम में वाणिज्य कर विभाग के केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पटना प्रमंडल के अन्तर्गत आने वाले अंचल के अधिकारियों को रखा गया है। विभाग द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि गठित टीम के पदाधिकारी अधोहस्ताक्षरी से अवकाश स्वीकृत करवा कर ही मुख्यालय छोड़ेंगे।

(सभार : हिन्दुस्तान, 18.6.2013)

Now, pay TDS on Property!

अगर आप कोई ऐसा मकान या प्रॉपर्टी खरीद रहे है, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो अब आपको इस पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) भी चुकाना पड़ेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने इममूवेबल प्रॉपर्टी की खरीदारी पर टीडीएस के नए प्रोवीजंस को लेकर एक नोटिफकेशन जारी किया है, जिसमें यह बात कही गई है। फाइनेंस एक्ट 2013 के मुताबिक, एग्रीकल्वर लैंड को छोड़कर 50 लाख से अधिक की रकम वाली किसी भी इममूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति को एक परसेंट के रेट से टैक्स चुकाना होगा, जिसे रेसीडेंट ट्रांसफर के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। हालांकि अगर प्रॉपर्टी बेचने वाला अपना पैन डिसक्लोज नहीं करता है तो टैक्स 20 परसेंट तक बढ़ सकता है। यह प्रोवीजन बैंक लोन द्वारा प्रॉपर्टी की खरीदारी पर भी लागू होगा।

1 जून तक होगा लागू : प्रॉपर्टी खरीदने वाले को या फिर बैंक को यह इंश्योर करना होगा कि प्रॉपटी बेचने वाले को रकम देने से पहले उस पर टैक्स डिडक्ट कर लिया है। यह प्रोवीजन किसी अंडरकंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की खरीदारी पर भी लागू होगा। फिलहाल इसके दायरे में वही लोग आएंगे, जिन्होंने एक जून तक बैलेंस पेमेंट किया है। टीडीएस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ऑनलाइन फाइलिंग द्वारा देय है। अगर कोई ऑनलाइन टैक्स नहीं अदा करता है तो वो भरे हुए फॉर्म के साथ इसे किसी भी ऑथराइज्ड ब्रांच में जमा कर सकता है। इनकमटैक्स अथॉरिटीज ने बॉयर्स के लिए टैक्स डिडक्शन और अकाउंट नंबर को मैंडेटरी कर दिया है। ऐसे में बॉयर टीडीएस सर्टिफिकेट को डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जेनरेट कर सकता है और सेलर को प्रोवाइड करा सकता है। **(साभार : आईनेक्स्ट, 4.6.2013)**

समय पर जरूर जमा कराएं टीडीएस

आयकर विभाग अब समय पर तथा सही-सही टीडीएस या टीसीएस जमा नहीं कराने वालों पर अब 200 रुपये से लेकर एक लाख रूपये तक का जुर्माना लगायेगा ।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने देश भर में अपने टीडीएस रेंज कार्यालयों से कहा है कि वे इस क्षेत्र में अनुपालन सुनिश्चित करें। कार्यालयों से कहा है कि वे इस नई व्यवस्था के बारे में टीडीएस काटने के लिए अधिकृत इकाइयों को सूचित कर दें।

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अगर सरकारी या निजी क्षेत्र की कोई इकाई कर की रकम की स्रोत पर कटौती कर टीडीएस या स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) को समय से नहीं जमा करवाती है तो उसे हर दिन के लिए 200 रुपये प्रति दिन के हिसाब में अनिवार्य जुर्माना देना होगा। इसी तरह तय समयमीमा के अंतर संग्रह का विवरण (स्टेटमेंट) न जमा करांने या गलत सूचना देने के लिए 10, 000 रुपये से एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। आयकार विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि टीडीएस या टीसीएस संग्रहण में देरी या गड़बड़ी रोकने के लिए विभाग के आकलन अधिकारी आयकर कानून की धारा 234 ई तथा 271 एच का इस्तेमाल करेंगे। **(साभार : हिन्दुस्तान : 6.6.2013)**

आयकर देने में बिहार और उत्तर प्रदेश हैं सबसे आगे

विकास दर के मामले में गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ चुके कई बीमारू राज्य अब सरकार का खजाना भरने में भी तेजी दिखा रहे हैं।

किस राज्य में कितनी वृद्धि

बीमारू राज्य	2006-07	2010-11	वृद्धि (% में)
उत्तर प्रदेश	4262.2	19850.87	366
बिहार	553.87	2581.09	366
झारखंड	1462.62	1691.43	15
मध्य प्रदेश	2572.31	6756.40	162
उड़ीसा	3309.35	6172.67	86

धनाढ्य राज्य

राज्य	2006-07	2010-11	वृद्धि (% में)
गुजरात	9108	17016.98	86
महाराष्ट्र	86709.33	174968.59	101
हरियाणा	3196.15	9212.60	188
दिल्ली	38399.62	64208.09	67
भारत	230181.4	446933.93	93

आयकर के आंकड़े करोड़ रुपये में

(साभार : हिन्दुस्तान, 5.6.2013)

सेवा कर मुख्यालय देगा करदाताओं को छूट

सेवा कर मुखयालय की ओर से स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना के तहत आम करदाताओं को छूट देने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए मुख्यालय ने कुछ शर्तें निर्धारित की हैं। वैसे करदाता इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, जिनकी ओर से तय अवधि के बीच सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया है।

निर्धारित शर्त : इस योजना का लाभ वैसे करदाताओं को मिलेगा जिन्होंने सेवा

कर का भुगतान एक अक्टूबर, 2007 से 31 दिसबंर, 2012 के बीच नहीं किया है।

यह होगी प्रक्रिया : योजना का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर, 2013 तक करदाताओं को विभाग द्वारा तय फार्मेट में घोषणा-पत्र दाखिल करना होगा।

सात दिनों के अंदर विभाग की ओर से दाखिल घोषणा-पत्र के आधार पर पावती निर्गत कर दी जायेगी। इसके उपरांत करदाता अपने लबित सेवा कर का भुगतान कर देंगे।

मिलेगी छूट : इस योजना के तहत सेवा कर का भुगतान करने वालों पर निर्धारित अधिनियम के तहत किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जायेगी। इस श्रेणी में आने वाले करदाताओं को विभाग की ओर से ब्याज, अभियोजन व अर्थदंड से छूट प्राप्त होगी। साथ ही ऐसे करदाताओं को लंबित सेवा कर का भुगतान दो किश्तों में जमा करने का मौका दिया जायेगा। लेकिन, 50 फीसद कर का भूगतान 31 दिसंबर, 2013 तक कर देना अनिवार्य होगा।

ये होंगे अपवाद : • योजना का लाभ उन करदाताओं को नहीं मिलेगा जिनपर, एक अक्टूबर 2007 के पहले की किसी भी अवधि के लिए सेवा कर बकाये से संबधित कोई शो • काज नोटिस या कर निर्धारण आदेश जारी किया जा चुका है • अगर बकाये राशि को पूर्व में ही दाखिल रिटर्न में दिखाया जा चुका है लेकिन, उसका भुगतान नहीं किया गया है तो, वैसे करदाताओं को कोई लाभ नहीं मिलेगा • किसी करदाता पर अगर एक मार्च 2013 तक अंकेक्षण, जांच या अनुसंधान लंबित है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। **(साभार : दैनिक जागरण, 12.6.2013)**

बिहार सरकार

वाणिज्य-कर विभाग।

आदेश

राजस्व संग्रहण की दृष्टि से वाणिज्य-कर विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य के कुल राजस्व संग्रहण का लगभग 65 प्रतिशत राजस्व वाणिज्य-कर विभाग द्वारा संग्रहित किया जाता है। इन तथ्यों को ध्यान में रख कर वित्तीय वर्ष 2006-07 से कर भुगतान के आधार पर वाणिज्य-कर के विभिन्न क्षेत्रों के बड़े-बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को राजस्व संग्रहण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को **"भामासाह सम्मान योजना"** के अंतर्गत प्रोत्साहित करने हेतु सम्मानित किया जाता रहा है।

2. राज्य सरकार ने **"भामासाह सम्मान योजना"** के अंतर्गत राज्य के व्यवसायियों को तर्कपूर्ण ढंग से पुनर्वर्गीकृत कर इस आधार पर चयनित व्यवसायियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मान योजना को और वैज्ञानिक, उपयोगी एवं उत्साहवर्द्धक बनाने का निर्णय लिया है।

3. इस हेतु सम्मान योजना का अंचलस्तरीय व राज्यस्तरीय दो श्रेणियों में वर्गीकरण करते हुए प्रत्येक श्रेणी हेतु अलग-अलग नाम से सम्मान पत्र एवं पुरस्कार की राशि दिया जाना है।

4. (क) अंचलस्तरीय पुरस्कार हेतु वाणिज्य कर के सभी 49 अंचलों को दो श्रेणियों यथा- I&II में विभाजित किया गया है।

(i) प्रथम श्रेणी (1) में राज्य के कुल 19 वाणिज्य कर अंचल यथा-पटना विशेष, पाटलिपुत्र, पटना पश्चिमी, पटना मध्य, पटना उत्तरी, गाँधी मैदान, पटना दक्षिणी, कदमकुँआ, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, दानापुर, सासाराम, गया, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, हाजीपुर बेगुसराय, पूर्णियां कटिहार एवं भागलपुर चिन्हित किये गये हैं।

(ii) द्वितीय श्रेणी (11) में राज्य के कुल 30 वाणिज्य कर अंचल यथा- बाढ़, शाहाबाद, बक्सर, बिहारशरीफ, भभुआ, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर पूर्वी, सीतामढ़ी, मोतिहारी, रक्सौल, बेतिया, बगहा, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, झंझारपुर, तेघड़ा, सहरसा, मधेपुरा, फारबिसगंज, किशनगंज, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर एवं जमुई चिन्हित किये गये हैं।

(ख) श्रेणी 1से प्रत्येक वर्ष प्रत्येक अचंल से तीन सर्वाधिक कर देनेवाले व्यावसायियों को **"भामासाह सम्मान"** के साथ सर्वाधिक कर देने के क्रम से एक लाख, पचास हजार व पचीस हजार रूपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी जायेगी।

(ग) श्रेणी 11से प्रत्येक वर्ष प्रत्येक अचंल से तीन सर्वाधिक कर देनेवाले व्यावसायियों को **"भामासाह सम्मान"** के साथ सर्वाधिक कर देने के क्रम से पचास हजार, पचीस हजार एवं ग्यारह हजार रूपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी जायेगी।

5. (क) राज्यस्तरीय सम्मान व पुरस्कार को उद्योग, कोरपोरेट एवं नॉन-कॉरपोरेट की तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

(ख) प्रथम श्रेणी में बिहार राज्य के अंतर्गत संचालित उद्योग (सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहत सहित) वर्ग के ऐसे सभी प्रतिष्ठान जिसने पिछले 03 वित्तीय वर्षों के कर भुगतान में औसत 25 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त किया हो परन्तु उक्त अवधि में किसी वर्ष की वृद्धि दर 20 प्रतिशत से कम नहीं हो में से सर्वाधिक कर देने वाले तीन व्यवसायियों को **"वाणिज्य-कर उद्योग रत्न"** के साथ सर्वाधिक कर देने के क्रम से दो लाख, एक लाख एवं पचास हजार रूपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी जायेगी।

(ग) द्वितीय श्रेणी में कॉरपोरेट वर्ग के ऐसे सभी व्यवसायी जो पिछले 03 वर्षों के कर भुगतान में औसत 25 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त किये हों, परन्तु उस अवधि में किसी वर्ष की वृद्धि दर 20 प्रतिशत से कम नहीं हो, में से सर्वाधिक कर देने वाले तीन व्यवसायियों को **"वाणिज्य-कर रत्न"** के साथ सर्वाधिक कर देने के क्रम से दो लाख, एक लाख एवं पचास हजार रूपये राशि पुरस्कार के रूप में दी जायेगी।

कॉरपोरेट वर्ग के व्यवसायी से अभिप्राय वैसे प्रतिष्ठानों से है जो एक से अधिक राज्यों में व्यावसाय करते हों एवं बिहार राज्य में समेकित रूप से वार्षिक एक करोड़ से अधिक कर का भुगतान करते हों। जो व्यवसायी कॉरपोरेट वर्ग की इस परिभाषा में नहीं आते हैं, उन्हें नॉन-कॉरपोरेट वर्ग का व्यवसायी माना जायेगा।

(घ) तृतीय श्रेणी में नॉन-कॉरपोरेट वर्ग के ऐसे सभी व्यवसायी जो पिछले 03 वर्षों में कर भुगतान में औसत 25 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त किये हों, परन्तु विचाराधीन अवधि में किसी वर्ष की वृद्धि दर 20 प्रतिशत से कम नहीं हो, में से सर्वधिक कर देने वाले तीन व्यवसायियों को **"वाणिज्य-कर रत्न"** के साथ सर्वाधिक कर देने के क्रम से दो लाख, एक लाख एवं पचास हजार रूपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी जायेगी।

6. वित्तीय वर्ष 2012-13 से लागू होने वाली इस योजना के अंतर्गत चयनित व्यवसायियों को भामासाह की जयन्ती के अवसर पर प्रतिवर्ष केन्द्रीय रूप से पटना में समारोह आयोजित कर सम्मानित किया जायेगा।

7. उपरोक्त कंडिका 4 एवं 5 के अंतर्गत. अंचल स्तर पर 147 तथा राज्य स्तर पर 09 कुल 156 व्यवसायियों को वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रत्येक वर्ष सम्मान पत्र एवं नकद पुरस्कार दिया जायेगा।

8. यह सम्मान निम्नांकित श्रेणी के व्यवसायियों को प्रदत्त नहीं होगा :-

(क) ऐसे व्यवसायी जिन्होंने पिछले दो वर्षों में विवरणी दाखिल करने अथवा कर भुगतान करने में बिना अनुमति प्राप्त किये विलम्ब किया हो;

(ख) ऐसे व्यवसायी जिनके विरूद्ध पिछले दो वर्षों में कर अपवंचना के लिए अर्थ-दण्ड अधिरोपित किया गया हो एवं किसी अपीलीय न्यायालय द्वारा उसे निरस्त नहीं किया गया हो;

(ग) ऐसे व्यवसायी जिनके व्यवसाय-रथल का पिछले दो वर्षों में निरीक्षण किया गया हो एवं उनके विरूद्ध कर अपवंचना के साक्ष्य प्राप्त हुए हों।

9. इसका व्यय गैर योजना के मुख्य शीर्ष 2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर, उप मुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 101 संग्रहण प्रभार मांग संख्या 17 उप शीर्ष 0002 भामाशाह सम्मान योजना के ईकाई शीर्ष 05 01 पुरस्कार इत्यादि के अन्तर्गत विकलनीय होगा, जिसका वहन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आय व्यय में उपर्वधित राशि से किया जाएगा, जिसका विपत्र कोड N 2040001010002 है।

ह०/- 15.5.2013
(नरेन्द्र कुमार सिन्हा)
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव
बिहार, पटना

क्या आपका रिटर्न व्यापक जांच (Scrutiny) में आ गया है?

• क्या है व्यापक जांच निर्धारण / स्क्रूटनी एसिसमेन्ट ? • व्यापक जाँच निर्धारण के मामले • चुनने के मापदण्ड, अनिवार्य व्यापक जांच निर्धारण के मामले

(Compulsory Scrutiny assessment) एवं उनके चयन के मापदण्ड • व्यापक जांच कैसे होती है? • निर्धारण अधिकारी का विभिन्न बिन्दुओं पर करदाता से या अन्य स्त्रोतों से सूचना, जानकारी या विवरण या दस्तावेजों को एकत्र करना • व्यापक जांच के परिणाम • करदाता के कर्त्तव्य एवं अधिकार • कहीं आप आयकर रिटर्न फाईल करने से चूक न जायें • कर नियोजन (Tax Planning) के लिये निवेश समझदारी से करें • प्रोजेक्ट रिपोर्ट : यू०पी० एस० (Uninterupted Power Supply). (पूर्ण जानकारी के लिए चैम्बर से संपर्क करें)

(Sourec : T.P. Feb.2013)

पटना मेट्रो की डीपीआर तैयार करेगी राइट्स

राजधानी पटना में मेट्रो चलाने की योजना पटरी पर आती दिख रही है। मेट्रो की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की जिम्मेदारी राइट्स लिमिटेड को सौंपी गई है। कंपनी छह माह में अपना काम पूरा करेगी।

कैबिनेट ने नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कैबिनेट विभाग के सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि डीपीआर तैयार करने के लिए राइट्स को 2.52 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कंपनी सभी तकनीकी और आर्थिक सर्वे करके परियोजना के लिए डीपीआर तैयार करेगी। राज्य सरकार ने वर्ष 2016 तक पटना के एक हिस्से में कम से कम दस किमी तक मेट्रो चलाने की योजना तैयार की है। राइट्स राजधानी में रूट-ट्रैकों के लिए संभावओं का पता लगायेगी।

परियोजना की लागत : पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत बनने वाली परियोजना में प्रति किलोमीटर लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। फिलहाल राजधानी में चार चरण में 40 किलोमीटर दूरी तक मेट्रो चलाने की योजना है। इस हिसाब से परियोजना पर 8000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

संभावित ट्रैक-रूट : • दानापुर-दीघा-गांधी मैदान-पीयू-रकाबगंज (पटना सिटी) **20-22 किमी.** • जंक्शन-वीरचंद पटेल पथ-वीमेंस कालेज-बोरिंग रोड-पाटलिपुत्र **8-10 किसी** • सगुना मोड़-बेली रोड-डाकबंगला-फ्रेजर रोड-गांधी मैदान **15 किमी** • जगदेव पथ-वीमेंस आईटीआई **02 किमी** **(हिन्दुस्तान, 12.6.2013)**

जुलाई से एसएमएस से बुक होगा ट्रेन टिकट

रेल यात्री एक जुलाई से मोबाइल एसएमएस के जरिए ट्रेन की टिकट बुक करा सकेंगे। खास बात यह है कि इसके लिए न तो स्मार्ट फोन की जरूरत होगी और न ही मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन की।

आईआरसीटीसी के प्रवक्ता ने बताया कि एक जुलाई से पहले विभाग एसएमएस टिकट बुकिंग के लिए विशेष मोबाइल नंबर शुरू करेगा। यात्री को अपना मोबाइल नंबर आई आरसीटीसी व बैंक में पंजीकृत कराना होगा। बैंक अपने उपभोक्ता को मोबाइल मनी आईडेंटीफायर (एमएसआईडी) व वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) उपलब्ध कराएगा। पहले एसएमएस में क्रमवार बुक-नंबर, शहर के नाम (कहां से कहां तक), यात्रा की तारीख, क्लास, यात्री का नाम, उम्र लिंग, (अधिकतम कुल छह यात्रियों का विवरण) लिखकर विभाग के विशेष मोबाइल नंबर पर भेजना होगा।

इसके बाद आई आरसीटीसी से प्राप्त होने वाली भुगतान की आईडी, बैंक मिला एमसआईडी व ओटीपी लिखकर विभाग को एसएमएस से भेजनी होगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 12.6.2013)

10% छूट के साथ, अब इंडियन रेलवे कराएगा विदेश की सैर

कारोबारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए रेलवे अब विदेशों की सैर कराने की तैयारी में है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) ने दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, दुबई और अफ्रीका की सैर कराने की योजना बना रही है। निजी टूर एजोसियों और ट्रेवल आपरेटरों के पैकेज के मुकाबले 10 फीसदी कम कीमत पर यात्रियों को हवाई सैर के साथ विदेशों की सैर का मौका मिलेगा। वैश्विक पर्यटन के पहले चरण में आईआरसीटीसी 13 जुलाई को बैकाक की उड़ान के साथ योजना लांच करेगी। भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के बाद रेलवे अब वैश्विक पर्यटन के क्षेत्र में कदम रख रही है। पहले चरण में 13 जुलाई से पांच दिन चार रातों के लिए बैंकाक के लिए पैकेज लांज किया है। इसकी उड़ान दिल्ली और मुंबई से होगी। पर्यटकों को एयरपोर्ट के लिए स्थानीय स्तर पर कनेक्टिंग फ्लाइट या सेकेंड एसी का ट्रेन टिकट मिलेगा। आईआरसीटीसी प्रति व्यक्ति करीब 37 हजार रुपये लेगी। इसमें एयर टिकट, ठहरना खाना, एसी बस में यात्रा सभी शामिल है। इसके लिए कारपोरेशन निजी एयरलाइन कंपनियों के साथ इंडियन एयरलाइंस से भी बात चीत कर रही है।

दुबई का भी पैकेज : कारपोरेशन ने मुंबई से दुबई पर्यटन पैकेज भी लांच किया है। पांच दिन छह रात के पैकेज में सारी सुविधाओं के साथ बेली डांस शो क्रूज के साथ दुबई का भ्रमण, अमीरात के माल की यात्रा, स्नो पार्क और दुनिया की सबसे उंची इमारत बुर्ज खलीफा कर भ्रमण शमिल है। इसके लिए प्रति व्यक्ति करीब 44270 रुपये लिए जाएंगे। यात्री सामान्य बजट में बेहतरीन एयरलांइस सेवाओं और अच्छे होटल में ठहरने का आनंद ले सकेंगे। दुबई, आस्ट्रेलिया, ग्रीस, तूर्की, दक्षिण अफ्रीका के लिए पैकेज शुरू किया जा रहा है।

मनोज सिन्हा,

मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, आईआरसीटीसी

इन देशों के लिए भी योजना : आस्ट्रेलिया, ग्रीस, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप। **(साभार : सन्मार्ग, 5.6.2013)**

टिकट काउंटर से मिलेगा रिफंड

रिंफड लेने के लिए यदि रेलवे के नियमों का पालन नहीं किया गया तो समझो आपका पैसा डूब गया। इसलिए यात्रा नहीं करने की स्थिति में रेलवे के तय समय के भीतर टिकट काउंटर से रिफंड लेने में ही समझदारी होगी।

जानकारी के अभाव में हजारों रेल यात्रियों को रिफंड नहीं मिल पा रहा है। नये नियमों के मुताबिक रेल आरक्षण केंद्र (सीआरएस) अथवा स्टेशन के करंट काउंटर से ही रिंफड लेना होगा। तकनीकी पेच यह है कि रेलवे सी आरएस रविवार को दो बजे से बंद हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उसे पास के रेलवे स्टेशन (जहां करंट टिकट काउंटर हो) भागना होगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 7.6.2013)**

रेलवे पर 50 हजार का जुर्माना

जिला उपभोक्ता फोरम ने ट्रेन की एसी बोगी में हुई चोरी के एक मामले को सेवा में त्रुटि का मामला मानते हुए रेलवे पर पचास हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। उक्त राशि रेलवे पीड़ित यात्री को चोरी से हुए मानसिक परेशानी के एवज में देगा। हालांकि महिला यात्री ने मानसिक परेशानी व चोरी गए समान की क्षतिपूर्ति के लिए रेलवे पर साढ़े तीन लाख रुपये का दावा ठोंका था। परंतु, फोरम के अध्यक्ष नारायण पंडित के नेतृत्व में तीन सदस्यीय खंडपीठ ने चोरी गए समान की रेलवे से भरपाई के दावे को खारिज कर दिया। **(विस्तृत जानकारी : दौनिक जागरण, 15.6.2013)**

पूर्व मध्य रेल जल्द ही देगी यात्रियों को नई सौगात

फतुहा से बक्सर के लिए फास्ट पैसेंजर ट्रेन शीघ्र

पूर्व मध्य रेल जल्द ही रेलयात्रियों को नयी सौगात देने जा रही है। पटना-मोकामा फास्ट पैसेंजर के परिचालन से उत्साहिस पूर्व मध्य रेल दो नई फास्ट पैसेंजर ट्रेने चलाने की तैयारी में है। पहली ट्रेन फतुहा से बक्सर तक जाएगी। यह ट्रेन बक्सर से लौटने के क्रम में पटना तक ही चलेगी।

एक जोड़ी ट्रेन दानापुर से बक्सर तक के लिए चलेगी। दानापुर-बक्सर फास्ट पैसेंजर ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि दानापुर से बक्सर के बीच में यह ट्रेन बिहटा, आरा और बिहियां में रुकेगी। लौटने के क्रम में भी इन ट्रेनों का स्टापिज इन्हीं तीन महत्त्वपूर्ण पर रहेगा। इन ट्रेनों के चलने से हजारों यात्रियों को फायदा होने वाला है क्योंकि पैसेंजर ट्रेनों की देरी की शिकायत यात्रियों को नहीं रहेगी। स्टॉपेज कम होने से यात्रियों के समय की बचत होगी वहीं दूसरी और यात्री पैसेंजर ट्रेन के किराए में फास्ट ट्रेन की सुविधा प्राप्त करेंगे। सूत्रों की माने तों पटना-मोकामा के बीच हाल ही शुरू की गई फास्ट पैसेंजर से उत्साहित रेल प्रशासन ने इन ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है।

फतुहा से इस्लामपुर के बीच भी एक जोड़ी पैसेंजर

यात्रियों की सुविधा को देखते हुए फतुहा से इस्लामपुर के बीच भी दो नई पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी। पिछले कई दिनों से पूर्व मध्य रेल और दानापुर रेल के उच्चाधिकारियों के बीच इस ट्रेन के समय निर्धारण को लेकर बात चल रही है। दानापुर रेल मंडल के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यालय से इन सभी ट्रेनों के समय का निर्धारण बाकी है पर जुलाई महीने के मध्य तक इन ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इन ट्रेनों के शुरू होने पर कुछ ट्रेनों के समय में आंशिक फेरबदल संभव है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 17.6.2013)**

मोबाइल बतायेगा कहां पहंची ट्रेन

केबुल चैनल के बाद पटना जंकशन की ट्रेनों का स्टेटस अब आपके मोबाइल पर भी दिखेगा। किस प्लेटफॉम पर कौन-सी ट्रेन कितने बजे गुजरनेवाली है, इसे चलते-फिरते कहीं भी मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकेंगे। इसके पहले टीवी स्क्रीन पर पटना रेल चैनल के माध्यम से लोगों को पटना जंकशन से गुजरने वाली ट्रेनों की रनिंग पोजीशन की जानकारी मिल रही थी। रेल चैनल ने एक कदम और बढ़ाते हुए इसकी सुविधा मोबाइल, वेबसाइट और टैब तक पहुंचाया है।

हाइ-फाइ मोबाइल की जरूरत नहीं : पटना जंकशन से गुजरनेवाली सभी ट्रेनों की स्थिति मोबाइल या कंप्यूटर पर उपलब्ध होगी। इसके लिए किसी हाइ-फाई मोबाइल की जरूरत नहीं हैं। किसी भी मोबाइल पर आसानी से सभी ट्रेनों की अद्यतन स्थिति देख सकते हैं। ट्रेनों का स्टेटस देखने के लिए यह जरूरी है कि मोबाइल पर इंटरनेट की सुविधा हो।

मिलेगी पूरी जानकारी : ट्रेन नंबर और ट्रेन के नाम से बहुत सारे यात्री अवगत नहीं होते हैं कि उक्त ट्रेन कहां तक जायेगी। यात्रियों की यह परेशानी भी बहुत जल्द दूर होनेवाली है। पहले से मिल रही सभी जानकारी के साथ डिसप्ले बोर्ड, मोबाइल और बैबसाइट, टैब सभी पर यह भी दिखेगा कि कौन ट्रेन पटना जंकशन से कहा तक जायेगी।

कैसे देख सकते हैं : मोबाइल युजर को इंटरनेट ओपेन करना होगा इसके बाद Cablecasting.in टाइप करेंगे। तो रेलवे चैनल खुलेगा और उस पर ट्रेनों की जानकारी मिलेगी। इसी तरह वेबसाइट पर Cablecasting.in टाइप करने के बाद डायरेक्ट ट्रेन नंबर, ट्रेन का नाम, विलंब, आगमन/प्रस्थान और प्लेटफॉर्म संख्या स्क्रीन पर उपलब्ध होगा।

एसएमएस से पोजीशन : आनेवाले दिनों में मोबाइल से एसएमएस कर यह भी जानकारी ले सकते हैं कि आनेवाली ट्रेनों के कोच का प्लेटफॉर्म पर क्या पोजीशन होगा। कौन-सी बोगी कहां लगेगी। इस तकनीक को विकसित किया जा रहा है।

(साभार : प्रभात खबर, 17.6.2013)

रीयल एस्टेट विधेयक मंजूर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रीयल एस्टेट ने रीयल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक नियामक गठित करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। विधेयक में परियोजनाओं के बारे में भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर डेवलपर को जेल भेजने तक का प्रावधान है। मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किये गये रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास) विधेयक में आवास क्षेत्र के लिए एक समान नियामकीय माहौल उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। विधेयक में डेवलपरों के लिए यह अनिवार्यता है कि वे संबंधित प्राधिकरणों से सभी साविधिक मंजूरियां लेने के बाद ही परियोजना शुरू कर सकेंगे।

वेबसाइट पर देनी होगी हर जानकारी : साथ हो इसमें यह भी प्रावधान है कि रीयल एस्टेट परियोजनाओं के लिए सभी संबंधित मंजूरियों का प्रस्ताव नियामक को सौंपना होगा और साथ ही इसे निर्माण शुरू करने से पहले अपनी वेबसाइट पर डालनी होगी। गलती करनेवाले बिल्डर के लिए परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तक जुर्माना से जेल की सजा तक का प्रावधान है। विधेयक में एक डेवलपर के लिए प्रत्येक परियोजना के लिए एक अलग बैंक खाता रखने की भी अनिवार्यता है। प्रस्तावित कानून में 'कॉरपेट एरिया' के लिए स्पष्ट परिभाषा उपलब्ध होगी और साथ ही निजी डेवलपरों को 'सूपर एरिया' जैसे भ्रामक आधार पर मकान या फ्लैट बेचने की मनाही होगी। **(साभार : प्रभात खबर, 5.6.2013)**

बिहार सरकार

BIADA

BIHAR INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT AUTHORITY

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार पटना द्वारा माह जून, 2013 से माह निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार प्राधिकार के क्षेत्रीय कार्यालय में उद्यमी अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिसमें संबंधित औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी की समस्याओं का निस्तार किया जायेगा। उक्त कार्य दिवसों को प्राधिकार के मुख्यालय से वरीय पदाधिकारी उद्यमी अदालत में भाग लेंगे।

उद्यमी अदालत का कार्यक्रम

क्रम	माह	मुख्यालय पटना	क्षेत्रीय कार्यालय दरभंगा	क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर	क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर
1	जून	07.06.2013	11.06.2013	14.06.2013	22.06.2013
2	जूलाई	05.07.2013	09.07.2013	12.07.2013	20.07.2013
3	अगस्त	02.08.2013	13.08.2013	16.08.2013	24.08.2013
4	सितम्बर	06.09.2013	10.09.2013	13.09.2013	21.09.2013
5	अक्टूबर	04.10.2013	08.10.2013	18.10.2013	26.10.2013
6	नवम्बर	01.11.2013	12.11.2013	15.11.2013	23.11.2013
7	दिसम्बर	06.12.2013	10.12.2013	13.12.2013	21.12.2013
8	जनवरी	03.01.2014	07.01.2014	10.01.2014	25.01.2014
9	फरवरी	07.02.2014	11.02.2014	14.02.2014	22.02.2014
10	मार्च	07.03.2014	11.03.2014	14.03.2014	22.03.2014

जिन उद्यमियों को बियाडा से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो वे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में निर्धारित अवधि में उपस्थित हो सकते हैं ।

अगर वे अपना आवेदन निर्धारित तिथि के कम-से कम 10 दिन पूर्व प्रबंध निदेशक को उपलब्ध करा दें, तो उनकी समस्या को स्थल पर ही समाधान करने में सहूलियत होगी।

उस तिथि को संबधित क्षेत्रीय कार्यालय के अधीनस्थ औद्योगिक क्षेत्रों के प्रभारी भी समीक्षात्मक बैठक एवं उद्यमी अदालत हेतु उपस्थित रहेंगे।

बैठक के निर्धारित कार्यदिवस को अवकाश रहने पर बैठक का आयोजन अगले कार्यदिवस को होगा।

प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार
प्रथम तल उद्योग भवन पूर्वी गांधी मैदान पटना-800004
Website www.biadabihar.in.email@rediffmail.com Ph/ FAX - 0612 - 2675002/ 2675889 **(साभार : दैनिक जागरण, 06.6.2013)**

कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़े सूबे के 23 अस्पताल

कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़े कर्मियों को चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए राज्य के 23 बड़े अस्पतालों को टाईउप किया गया है। इन अस्पताओं में निगम के 19 चिकित्सालयों और फुलवारीशरीफ अस्पताल से रेफर किए जाने के बाद ही इलाज संभव है। निगम के क्षेत्रीय निदेशक अरुण पांडेय ने बताया कि इन अस्पतालों में इलाज के पैसे नहीं लगेंगे। इस सुविधा से निगम से जुड़े करीब छह लाख लोगों को फायदा होगा। इसके अतिरिक्त सभी जिला मुख्यालयों से कम से कम एक बड़े अस्पताल को जोड़ने की प्रक्रिया भी चल रही है। जिन अस्पतालों को टाइअप किया गया है, उनके नाम इस प्रकार हैं।

इन अस्पतालों से हुआ टाइअप

शहर / जिला अस्तपाल का नाम

• **पटना :** रुबन अस्पताल, महावीर कैंसर संस्थान, जीवक हार्ट हॉस्पिटल, राजेश्वर अस्पताल, कुर्जी होली फैमिली अस्पताल, एबीआई इंस्टीट्यूट, आईजीआईएमएस, पटना बोन एंड स्पाइन हॉस्पिटल, शेखर ईएनटी क्लीनिक एंड रिसर्च सेंटर, आशियाना डेंटल क्लीनिक और हार्ट हॉस्पिटल • **बिहारशरीफ :** ममता मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल • **मुजफ्फरपुर :** भवानी नर्सिंग होम • **बंजारी (रोहतास) :** नारायण मेडिकल कॉलेज व अस्ताल • **बेगूसराय :** वीणी नर्सिंग होम, लाइफ लाइन अस्ताल एंड रिसर्च सेंटर और बिशुनपुर मल्टीस्पेशियल्टी अस्पताल • **डुमरांव :** गरीब नवाज अस्पताल • **भागलपुर :** सुशीला क्लीनिक और हीलिंग टच मल्टीस्पेशियल्टी अस्पताल • **छपरा :** त्रिपाठी नर्सिग होम **(साभार : हिन्दुस्तान 19.6.2013)**

खाली भूमि पर भी लगेगा टैक्स, दरें हुईं निर्धारित

नगर निकाय क्षेत्र में खाली पड़ी जमीन पर भी टैक्स वसूला जायेगा. नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसकी दरों का निर्धारण कर दिया है। टैक्स का निर्धारण सड़कों के वर्गीकरण के आधार पर किया गया है। नगर निगम में तीन से पांच रुपये, नगर पर्षद में दो से चार रुपये और नगर पंचायत में एक से तीन रुपये प्रति वर्गमीटर की दर टैक्स की वसूली की जायेगी। इसे सभी 141 नगर निकायों में लागू किया जायेगा। इस संबंध में सभी निकायों के पास प्रस्ताव भेज दिया गया है, जिसे बोर्ड से पारित कराने के बाद पुन: विभाग के पास भेजा जायेगा और विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा कर लागू किया जायेगा।

टैक्स की दरें

नगर निकाय	प्रधान मुख्य सड़क	मुख्य सड़क	अन्य सड़कें
नगर निगम	पांच	चार	तीन
नगर पर्षद	चार	तीन	दो
नगर पंचायत	तीन	दो	एक

(रुपया प्रति वर्ग मीटर सलाना)

पटना नगर निगम

196953 होल्डिंग 1-5 लाख छूटी होल्डिंग 32 करोड़ टैक्स का पिछला लक्ष्य 22 करोड़ टैक्स वसूली 35 करोड़ छूटी होल्डिंग से वसूली

"विभागीय स्तर पर अभी इस पर कुछ और काम किया जा रहा है। इस संबंध में प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है, जिस पर मंथन किया जा रहा है। मंथन के बाद हम खाली जमीन पर टैक्स वसूली करेंगे। नगर निगम बोर्ड की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई है।" **अफजल इमाम**, मेयर

(विस्तृत समाचार : प्रभात खबर, 30.5.2013)

ऑनलाइन जमा होगा पासपोर्ट शुल्क

पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदकों ऑनलाइन आवेदन के साथ ही शुल्क भी जमा करना होगा। विदेश मंत्रालय की नई रणनीति के तहत देहरादून से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऑनलाइन पेमेंट (भुगतान) की शुरुआत हो चुकी है। अगले दो-तीन महीनों में इसे बिहार में भी लागू किया जा सकता है।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

- passportindia.gov.in बेबसाइट पर लॉन इन करें। रजिस्ट्रेशन कराएं, यूजर आईडी बनाएं और अपना पासवर्ड चुनें।
- ऑनलाइन आवेदन भरे। सपोर्टिंग दस्तावेज स्कैन/डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर ई-फॉर्म डाउनलोड कर भरें व वेबसाइट पर अपलोड करें।
- एप्लीकेशन (आवेदन) रेफरेंस नंबर (एआरएन) नोट करें। अप्वाइंटमेंट (टाइम स्लॉट) लेकर ससीद का प्रिंट आउट लें।
- अप्वाइंटमेंट रसीद में अंकित समय पर सभी आवश्यक मूल दस्तावेंजों और उनकी फोटो कॉपी लेकर पासपोर्ट सेवा केन्द्र पर पहुंचें।
- पासपोर्ट सेवा केंद्र में ही आवेदक की तस्वीर ली जाएगी।

ऐसे करें भुगतान : • क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से •ऑनलाइन चालान (ग्रामीण इलाको के आवेदवकों के लिए सुविधाजनक) **पासपोर्ट शुल्क :** • सामान्य पासपोर्ट : 1500 रुपए • तत्काल पासपोर्ट : 3500 रुपए।

"नन-सीरीयस आवेदक परेशानी का सबब हैं। पीएसके का समय बर्बाद होने के साथ ही दूसरे आवेदकों को भी अप्वाइंटमेंट मिलने में दिक्कत होती है। ऑनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया लागू होने पर लोग बेवजह आवेदन नहीं करेंगे।"

आनंद कुमार, रिजनल पासपोर्ट अफसर

1800-258-1800 कॉल सेंटर के नंबर पर मिलेगी आवेदन की ताजा स्थिति की जानकारी

(साभार: हिन्दुस्तान, 7.6.2013)

व्यावसायिक निर्माण नहीं होगा आवासीय क्षेत्रों में

आवासीय इलाकों में अगर व्यावसायिक भवन बनाए जा रहे हैं तो उसके निर्माण पर भी रोक लगा दी जाएगी। निगम प्रशासन का कहना है कि निर्माण के दौरान यह पहचान करना असंभव होगा कि भवन का उपयोग आवासीय कार्यों के लिए होगा या गैर आवासीय कार्यों के लिए। इस समस्या से निपटने के लिए जमीन मालिक, बिल्डर और निर्माणकर्ता से वास्तुविदों द्वारा पारित नक्शा और जमीन के कागज की जांच होगी ।

जमीन मालिक, बिल्डर या निर्माणकर्ता सूचना उपलब्ध कराने से इंकार करेंगे या जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो निर्माण कार्य तत्काल बंद करा दिया जाएगा। इस बाबत मेयर अफजल इमाम का कहना है कि आवासीय इलाकों में व्यावसायिक भवन और नियम-कानून के खिलाफ निर्माण पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट ने पूर्व में भी आदेश दिया है। नगर निगम की सशक्त स्थाथी समिति और बोर्ड ने भी इस बारे में निर्णय लिया है। वास्तुविदों द्वारा गलत नक्शा स्वीकृत करने का मामला 2010 और 2012 में प्रकाश में आया। लेकिन नगर निगम प्रशासन ने कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया। जांच के नाम पर कुछ समय के लिए प्लानिंग रिपोर्ट नहीं देने का निर्णय लेना निगम प्रशासन के लिए कोई नहीं बात नहीं है। इस तरह के निर्णय कई बार लिए गए हैं।

हाईकोई के कड़े रूख के बाद निगम प्रशासन के स्तर से ऐसे फैसले लिए जाते हैं लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। जरूरत है अवैध निर्माण रोकने और ठोस कार्रवाई करने की। (साभार : हिन्दुस्तान, 01.6.2013)

निबंधन के बाद दूसरे ही दिन होगी फोटोग्राफी

दस्तावेज के निबंधन के बाद मूल कापी देने में निबंधन कार्यालय की और से दो से तीन माह तक का समय लिया जा रहा था। निबंधन महानिरीक्षक द्वारा सभी जमीन का निरीक्षण कर फोटोग्राफी को अनिवार्य किए जाने के बाद से परेशानी और बढ़ गई। निबंधन महानिरीक्षक ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल फोटोग्राफी व निरीक्षणी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया ताकि लोगों को समय पर मूल दस्तावेज मिल सके।

पटना निबंधन कार्यालय में बैठक आयोजित को गई। सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि दस्तावेजों के निबंधन के बाद रजिस्टर पर चढ़ाते हुए तत्काल संबंधित कार्यालय को मेमो भेज दिया जाए। सभी मेमो पर निबंधक का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। निबंधन के दूसरे ही दिन कर्मचारी पार्टी के साथ जाकर स्थल निरीक्षण करेंगे तथा अपने सामने ही जमीन पर खरीदने वाले तथा बेचने वाले की तस्वीर खिचवाएंगे। इसके बाद लोगों को दस्तावेज दे दिया जाएगा। पूरे प्रकरण में अधिकतम दो से तीन दिन लगेंगे । (साभार : दैनिक जागरण, 31.5.2013)

रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी के आगे व पीछे अनिवार्य

एमवी एक्ट	कारण	जुर्माना की राशि
177	आगे के नंबर प्लेट पर नंबर नहीं होना	100 रु०
180	ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना	1000 रु०
129.177	हेलमेट नहीं होना	100 रु०
190	प्रदूषण का कागजात नहीं होना	1000 रु०
184	रफ्तार व लापरवाही से गाड़ी चलाना	1000 रु०
196	इंश्योरेंस नहीं होना	1000 रु०

(विस्तृत समाचार : दैनिक जागरण, 15.6.2013)

विनम्र निवेदन माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जिन्होंने वर्ष 2013-14 का सदस्यता शुल्क नहीं भेजा है, कृपया शीघ्र भेजने की कृपा करें।

Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. 0612-3200646, 2677605, 2677635 •Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296